प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.12.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 20/12/2025 को थाना मुरादनगर पर वादी मौ0 गुलफान पुत्र सलाउद्दीन उर्फ अल्लू द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 20.12.2025 को समय दोपहर करीब 1:45 बजे मेरा भाई इमरान ओलम्पिक तिराहा के पास एक साइकिल की दुकान पर बैठा था तभी साबिर पुत्र सजाउद्दीन, यासर पुत्र अलीम, अरफाज पुत्र सलीम, कैफ पुत्र अखलाक व एक बाल अपचारी निवासीगण मौहल्ला कोट, कस्बा व थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद अपने हाथों में तमन्चे, पिस्टल लेकर गाली-गलौज करते हुए आये और एक राय होकर मेरे भाई इमरान को जान से मारने की नीयत से अपने हाथों में लिए तमन्चों व पिस्टल से ताबड़-तोड़ गोलियाँ चला दीं, जिससे मेरा भाई गम्भीर रूप से घायल होकर नीचे गिर गया। भाई को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा 103(1)/191(2)/191(3)/190/352/351(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात उपरोक्त घटना कारित करने वाले बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर बाल अपचारी ने बताया कि हमारा काफी वर्षो से मृतक इमरान के साथ रंजिशन विवाद चला आ रहा था। जिस कराण यह घटना घटित हुई।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

साइबर सेल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 1,00,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 27.09.2025 को साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम को आवेदक श्री जयकरण सिंह पुत्र हरि सिंह पता 05 धनपत कॉलोनी राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ फोन कॉल करने के बहाने सिमकार्ड निकालकर ऑनलाइन आवेदक के साथ कुल 1,15,000/- रूपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को दिनांक 27.09.2025 को श्री जयकरण सिंह पुत्र हरि सिंह पता 05 धनपत कॉलोनी राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ फोन कॉल करने के बहाने सिमकार्ड निकालकर ऑनलाइन आवेदक के साथ कुल 1,15,000/- रूपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर धारा 66 डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिस पर साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 21.12.2025 को आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन साइबर फ्रॉड में ठगी की धनराशि 1,15,000/- रूपये को बैंको से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आवेदक के साथ साइबर फ्रॉड की गयी 1,00,000/- रूपये की धनराशि को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर बेचने वाली 03 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 360 ग्राम अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर बरामद।

आज दिनांक 21.12.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर सहित 03 अभियुक्ता 1. शबनम पत्नी स्व0 इरशाद उर्फ भालू, उम्र 57 वर्ष 2. आसमा पत्नी नईम, उम्र 35 वर्ष, 3. गुल बहार उर्फ गुल्लो पत्नी कादिर उम्र 25 वर्ष समस्त निवासीगण गली नंबर 2 चाँद मस्जिद बंगाली पीर के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद को कीकडों के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 360 ग्राम अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ। उक्त बरादगी के आधार पर थाना अंकुर विहार पर अभियुक्तागण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तागण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दिल्ली से चोरी छिपे अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर को खरीद कर लाती है तथा इसकी पुडिया बनाकर राह चलते व्यक्तियों को बेच देते है तथा मुनाफा कमा लेती है।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता–

1. शबनम पत्नी स्व0 इरशाद उर्फ भालू निवासी गली नंबर 2 चाँद मस्जिद बंगाली पीर के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद, उम्र 57 वर्ष
2. आसमा पत्नी नईम निवासी गली नंबर 2 चाँद मस्जिद बंगाली पीर के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद, उम्र 35
3. गुल बहार उर्फ गुल्लो पत्नी कादिर निवासी गली नंबर 2 चाँद मस्जिद बंगाली पीर के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता शबनम उपरोक्त के विरुद्ध झगडा/ मारपीट व आयुध अधि0 के 03 अभियोग थाना लोनी पर तथा एनडीपीएस एक्ट के 02 अभियोग थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है।

अभियुक्ता आसमा उपरोक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है।

अभियुक्ता गुल बहार उपरोक्त के विरुद्ध झगडा/ मारपीट के 02 अभियोग थाना लोनी पर तथा एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।